

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, मकान नं० 210/7 बाबाजियों की छावनी
दौसा (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा



अपील सं० 73/2017

निर्णय

दिनांक 10.01.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति० जिला कलेक्टर, दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीड़ित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अति० जिला कलेक्टर, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, अति० जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा उनके पत्रांक आर०टी०आई०/2017/14 दिनांक 02.01.2018 द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत प्रा० पत्र प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, कलेक्ट्रेट, दौसा को उनके पत्रांक 1118-1121 दिनांक 14.11.2017 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भिजवाया गया। जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, कलेक्ट्रेट, दौसा द्वारा उनके पत्रांक 6952 दिनांक 21.11.2017 को सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। इस पर प्रार्थी द्वारा सूचना सही नहीं देने बाबत पुनः प्रा० पत्र प्रस्तुत किया गया। पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी संस्थापन को भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी संस्थान द्वारा पुनः उनके पत्र क्रमांक:7227-7228 दिनांक 18.12.2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवादी गई है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना अंकित कर अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा